जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय

नई दिल्ली, 10 अगस्त, 2017

सा.का.नि. 252.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और जल संसाधन मंत्रालय, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड, उच्च श्रेणी लिपिक समूह 'ग' भर्ती नियम, 2011 को उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, भूमिगत जल बोर्ड में उच्च श्रेणी लिपिक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—**

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड, समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—**पद की संख्या, उसका वर्गीकरण, और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.—**भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त/पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता-** वह व्यक्ति:—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.—**जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, और वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.—**इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
उच्च श्रेणी लिपिक	166* (2017) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ग", अराजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (25500 रुपए)	अचयन

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(6)	(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
(10)	(11)
प्रोन्नति द्वारा जिसके ना हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।	**प्रोन्नति (क)** पदों की $66\frac{2}{3}$ प्रतिशत केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड में अवर श्रेणी लिपिक में से प्रोन्नति द्वारा भरी जाएगी जिसने श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा की हो; **(ख)** $33\frac{1}{3}$ प्रतिशत के पद, अपर श्रेणी लिपिक के लिए सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर प्रोन्नति द्वारा भरी जाएगी जिसने केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड की श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो और परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम निम्नानुसार होगाः— (i) टिप्पण और प्रारूपण तथा कार्यालय प्रक्रिया-100 अंक (ii) सामान्य ज्ञान-100 अंक (iii) निबंध और सार लेखन-100 अंक **टिप्पण 1:** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **प्रतिनियुक्तिः** केन्द्रीय सरकार के अधिकारी- (i) जिसने नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हो; या (ii) केन्द्रीय सरकार के अन्य कार्यालयों में अवर श्रेणी लिपिक जिसने श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा की हो। **टिप्पण 1:** प्रतिनियुक्त की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 2:** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगा। **टिप्पण 3:** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय समिति प्रोन्नति के लिए जिसमें निम्नलिखित होंगे:— 1. निदेशक (प्रशासन), केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड - अध्यक्ष 2. केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड का "समूह क" अधिकारी – सदस्य 3. केन्द्रीय सरकार के अन्य मंत्रालय या विभाग से "समूह क" अधिकारी - सदस्य	लागू नहीं होता

[फा. सं. 23/12/2016-सीजीडब्ल्यूबी]

रामेश्वर नाथ दीक्षित, अवर सचिव

MINISTRY OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT AND GANGA REJUVENATION

New Delhi, the 10th August, 2017

G.S.R. 252.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Water Resources, Central Ground Water Board, Upper Division Clerk, Group 'C' post Recruitment Rules, 2011, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Upper Division Clerk in Central Ground Water Board, Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, namely:-

1. **Short title and commencement**.—(1) These rules may be called the Central Ground Water Board, Upper Division Clerk, Group 'C' Post, Recruitment Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in the pay matrix.—**The number of the said post, its classification and Level in the Pay Matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.** —The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualifications**.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax**.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.—**Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection post or non - selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Upper Division Clerk	166* (2017) *Subject to variation depend on work load.	General Central Service, Group 'C' non-Gazetted, Ministerial.	Level-4 (Rs.25500) in the Pay Matrix.	Non-selection

Age-limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.
(6)	(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable

Method of recruitment: whether by direct recruitment or by promotion or by deputation /absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(10)
By Promotion failing which by deputation

In case of recruitment by promotion or deputation /absorption, grades from which promotion or deputation /absorption is to be made.
(11)
Promotion : (a) 66.2/3 per-cent. of the posts to be filled by promotion from amongst Lower Division Clerk in the Central Ground Water Board with eight years regular service in the grade; and (b) 33.1/3 per cent of the posts to be filled by promotion on the basis of competitive written test limited to Lower Division Clerk with five years regular service in the grade in the Central Ground Water Board and the syllabus for the said written test shall be as under:— (i) Noting and drafting and office procedure – 100 marks; (ii) General Knowledge -100 marks; and (iii) Essay and precis writing -100 marks. **Note 1:** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already competed such qualifying or eligibility service. **Deputation:** Officer of the Central Government- (i) holding analogous post on regular basis; or (ii) Lower Division Clerk in other Central Government Offices with eight years regular service in the grade. **Note 1:** Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or Department of the Central Government shall ordinarily not exceeded three years. **Note 2:** The maximum age limit for appointment on deputation shall be not exceeding 56 years, as on the closing date of receipt of applications. **Note 3:** The Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment by deputation and similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commoission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for promotion) consisting of:— 1. Director (Administration), Central Ground Water Board – Chairman 2. A Group 'A' officer of the Central Ground Water Board -Member 3. A Group 'A' officer from any other Ministry or Department of the Central Government -Member	Not applicable.

[F. No. 23/12/2016-CGWB]

R. N. DIXIT, Under Secy.

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

(शर्करा और वनस्पति तेल निदेशालय)

नई दिल्ली, 11 अगस्त, 2017

सा.का.नि. 253.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और चीनी निदेशालय, कनिष्ठ तकनीकी अधिकारी (चीनी तकनीकी) / निरीक्षण अधिकारी (तकनीकी) भर्ती नियम, 1990 को अधिक्रान्त करते हुए और वनस्पति, वनस्पति तेल तथा वसा निदेशालय (निदेशक, उपनिदेशक, सहायक निदेशक, विकास अधिकारी और रसायनज्ञ) भर्ती नियम, 2004 को आंशिक तौर पर अधिक्रांत करते हुए, जहां तक उनका संबंध विकास अधिकारी और रसायनज्ञ के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, (खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग) के अधीन शर्करा और वनस्पति तेल निदेशालय में कनिष्ठ तकनीकी अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम शर्करा और वनस्पति तेल निदेशालय (कनिष्ठ तकनीकी अधिकारी) भर्ती नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—पदों की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों के उपाबद्ध के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. प्रारंभिक गठन.—(1) इन नियमों के लागू होने से पहले शर्करा और वनस्पति तेल निदेशालय में रसायनज्ञ और सहायक रसायनज्ञ के पदों को धारण करने वाले व्यक्तियों को इन नियमों के उपबंधों के अनुसार उनके संबंधित पदों पर नियुक्त माना जाएगा।

(2) उप नियम (1) में संदर्भित व्यक्तियों द्वारा इन नियमों के लागू होने से पहले की गई नियमित सतत सेवा को ऐसे व्यक्ति को कनिष्ठ तकनीकी अधिकारी के पद पर पुन: पदनामित करने या प्रोन्नत करने के लिए गिना जाएगा।